राज्यपाल सचिवालय
राजभवन, जयपुर

क्रमांक : एफ.1(4)आरबी/2018/8732 दिनांक : 19 नवम्बर, 2019

कार्यवाही विवरण

राज्य के वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की समन्वय समिति की बैठक माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 04 नवम्बर, 2019 को प्रातः 11.00 बजे राजभवन, राजस्थान, जयपुर में आयोजित हुई।

बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों की सूची संलग्नक–1 पर संलग्न है।

2. सर्वप्रथम सचिव, राज्यपाल ने बैठक में सभी प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय को प्रारम्भिक उद्‌बोधन हेतु निवेदन किया।
3. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय ने सभी कुलपतिगण एवं अधिकारीगण का स्वागत करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय युवा वर्ग को शिक्षण–प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तन का साधन बनायें। INNOVATE, INSPIRE & ILLUMINATE विश्वविद्यालयों के लिए एक मूल मंत्र होना चाहिए। सीमित संसाधनों के अधिकतम उपयोग पर विचार किया जाये। विश्वविद्यालय अपने संसाधनों को साझा कर आपस में CONNECT करें ; कौशल विकास को स्थानीय उद्योगों से CONNECT करें ; पूर्व छात्रो को Alumni Association के माध्यम से विश्वविद्यालयों से CONNECT करें ; शिक्षण को सामाजिक सरोकार से CONNECT करें ; विद्यार्थियों को व्यक्तित्त्व विकास एवं Life Skills से CONNECT करें। इससे विश्वविद्यालयों में बड़ा परिवर्तन आयेगा। यह कदम विश्वविद्यालय के स्वयं के लिए भी महत्वपूर्ण रूप से उपयोगी हो सकते हैं तथा साथ ही साथ समाज में विश्वविद्यालय का योगदान भी सुदृढ़ कर सकते हैं।
4. तत्पश्चात सचिव, राज्यपाल द्वारा माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय की अनुमति से बैठक का आरम्भ किया गया एवं विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राजभवन सचिवालय को एजेन्डा बिन्दुओं पर कार्यवाही बाबत् निर्देशित किया गया।
5. समस्त 18 एजेन्डा बिन्दुओं पर विचार–विमर्श एवं तद्नुसार लिये गये निर्णय की सूची संलग्नक–2 पर संलग्न है।

6. माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समापन संबोधन में निम्न निर्देश/घोषणा की गई :–

- विश्वविद्यालय किसी भी प्रकार की सूचना का प्रत्युत्तर NIL मे नहीं देवे;
- शैक्षिक गुणवत्ता तथा प्रशासनिक अनुशासन सुनिश्चित करें।
- विश्वविद्यालय स्मार्ट विश्वविद्यालय बनें। विश्वविद्यालय में स्मार्ट क्लासरूम स्थापित किये जावें।
- विश्वविद्यालय की निधि नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में जमा कराई जावे।
- आय एवं व्यय का नियमित अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से कराया जावे।
- विश्वविद्यालय राज्य सरकार एवं यूजीसी से प्राप्त अनुदान/वित्तीय सहायता को ध्यान में रखकर भविष्य में होने वाले खर्चो का रोडमैप तैयार करें।
- इन्कम टैक्स अधिनियम 1961 की धारा 80G अंतर्गत छूट प्राप्त करने संबंधी कार्यवाही करें।
- विद्यार्थियों में पारिवारिक लगाव पैदा करें।
- Innovation & Start-up हेतु अवसर प्रदान करें एवं Incubation Centre स्थापित करें।
- पाठ्यक्रम का नियमित रूप से अद्यतन करें एवं समय की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम में परिवर्तन करें।
- शैक्षिक गुणवत्ता तथा प्रशासनिक अनुशासन बाबत् उत्कृष्ट कार्य करने वाले विश्वविद्यालय को प्रतिवर्ष राज्यपाल एवं कुलाधिपति द्वारा पुरस्कृत किया जावेगा।

7. बैठक धन्यवाद प्रस्ताव के साथ समाप्त हुई।

(सुबीर कुमार)
सचिव,
राज्यपाल राजस्थान

क्रमांक : एफ.1(4)आरबी / 2018पार्ट1 / 8733 दिनांक : 19 नवम्बर, 2019

प्रतिलिपि :–

1. मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
3. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, कौशल नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, भारत सरकार, शास्त्री भवन, जीवनदीप बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, आर के पुरम, नई दिल्ली।
9. डॉ0 देव स्वरूप, अतिरिक्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही विवरण का पालना प्रतिवेदन यथाशीघ्र भिजवाये जाने हेतु प्रेषित है :–

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रमुख शासन सचिव, युवा मामलात एवं खेल विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
5. शासन सचिव, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
6. शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
7. शासन सचिव, संस्कृत शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
8. शासन सचिव, श्रम एवं नियोजन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
9. शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
10. शासन सचिव, पशुपालन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
11. आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
12. कुलपतिगण, समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय, राजस्थान।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

प्रतिलिपि संदर्भ हेतु :–

1. विशेष कार्य अधिकारी, माननीय राज्यपाल, राजस्थान।
2. निजी सचिव, सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।

सचिव,
राज्यपाल, राजस्थान

Meeting of Vice Chancellor's Co-ordination Committee on 04th November, 2019 at 11.00 A.M. At Raj Bhawan, Jaipur

List of Participants

S.No.	Name & Designation	Mobile No.	Signature
1	Niranjan Arya	9783112233	[signature]
2	DR DEV SWARUP Addl. Secy, UGC	9871490304	[signature]
3	Dr. Abhay Jere (CIO) MHRD	9657723380	[signature]
4	Dipan Kumar Sahu Executive Consultant, MHRD	9937138206	[signature]
5	Dr. POOJA RAWAT INNOVATION OFFICER, MHRD	9896229586	[signature]
6	Naresh Pal Gangwar Pr. Secy Agriculture	9982070704	[signature]
7	Gayatri Rathore Secy., Ayurveda	9414110200	[signature]
8	Vaibhav Galriya Secy, Medical Education	9829117511	[signature]
9	Naveen Jain Secy, Skill Emp & Entr.	9929204300	[signature]
10	Shuchi Sharma Secy. Hr.+Tech Ed.	9829065601	[signature]
11	Dr. Rajesh Sharma	9414070990.	[signature] 4/11/19.
12	Manju Rajpal Secy School Education	9910004920	[signature] 4/11/19
13	Prafulla Kumar Pro VC SP Police Univ, Jodhpur	9413310888	[signature]
14	Mahendra Meena DS, Sports & Youth affairs	94602211 44	[signature]
15	NL Meena Home Secretary GOR	9414776223	[signature]
16	Bhagirath Singh	9829266377	[signature]
17	Prof Ashwani K Bansal	7230020500	[signature]
18	Prof RL Godara	9558095921	[signature]
19	Prof. Raksha Pal Singh.	9414422766	R.P. Singh
20	Prof. M.K. [illegible]	9414865217	

Meeting of Vice Chancellor's Co-ordination Committee on 04th November, 2019 at 11.00 A.M. At Raj Bhawan, Jaipur

List of Participants

21	Dr D.C. Joshi	9909020668	[signature]
22	Dr J.S. Sandhu	9582898978	[signature]
23	Dr. N.S. RATHORE	9414166561	[signature]
24	Dr. M.D Charan	9413002733	[signature]
25	Prof. R.A Gupta	9414052862	[signature]
26	Prof. Vishnu Sharma	9460387949	[signature]
27	Prof. Abhimanyu Kumar	8800543828	[signature]
28	DR RAJA BABU PANWAR	8955136305	[signature]
29	ANULA MAURYA	9810353171	[signature] 4.11.19
30	DR. Neelima Singh.	9425339973	[signature] 4.11.19
31	B.L. Sharma	9772133321	[signature]
32	महेश कुमार मीणा DS Agriculture	9425078997	[signature]
33	गीता भटनागर	9873710777	[signature]
34	Prof. J.P. Sharma	9887554201	[signature]
35	Dr RAMPAL SINGH	9672965888	[signature]
36	Dr Lalit K. Panwar	9650687888	[signature]
37	Kailash Sodani	82392-69101	[signature]
38	R.K. Kothari	9414781479	R.K. Kothari
39			
40			

संलग्नक–2

एजेन्डा क्रम संख्या	एजेन्डा विषय	चर्चा के बिन्दु	निर्णय	विभाग/विश्वविद्यालय जिससे कियान्विति अपेक्षित है।
1.	**कुलपति समन्वय समिति की बैठक दिनांक 21.07.2016 के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन**	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि कुलपति समन्वय समिति की गत बैठक दिनांक 21.07.2016 को आयोजित की गई थी जिसका कार्यवाही विवरण 05.08.2016 को जारी किया गया। चूंकि कार्यवाही विवरण के संबंध में कोई आपत्ति किसी प्रतिभागी से प्राप्त नहीं हुई। अतः कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जाना प्रस्तावित है। प्रस्ताव पर सभी सदस्यों द्वारा सहमति जताई गई।	प्रस्ताव स्वीकार एवं तद्नुसार दिनांक 05.08.2016 को जारी कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया जाता है।	–
2.	**गत कुलपति समन्वय समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों की पालना रिपोर्ट**	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा गत कुलपति समन्वय समिति की बैठक में दिये गये निर्देशों के संबंध में राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों व संबंधित प्रशासनिक विभागों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर संकलित कियान्विति पालना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। निम्न बिन्दु जिनपर कार्यवाही शेष है के संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा शीघ्र कार्यवाही बाबत् निर्देश दिये गये – **विश्वविद्यालय के स्तर पर विद्यार्थी की कौशल क्षमता को बढाने बाबत अंग्रेजी, व्यक्तित्व विकास एवं कम्प्यूटर कौशल कोर्सेज पर सेलेबस निर्धारण बाबत्** – इस संबंध में प्रो. हर्ष द्विवेदी, पोद्दार इंस्टीटयूट ऑफ मेनेजमेंट, राजस्थान विश्वविद्यालय के संयोजन में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसकी	माननीय कुलाधिपति महोदय द्वारा संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय को टिप्पणी	संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय

		अनुशंषाएं प्राप्त हो गई हैं। प्राप्त अनुशंषाओं पर सयुंक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग एवं कुलपति जय नारायण व्यास विश्वविद्यालयकी टिप्पणी पत्र दिनांक 29.01.2019 द्वारा चाही गई जो प्रतीक्षित है।	राजभवन को शीघ्र प्रेषित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया।	
		विश्वविद्यालयों में केन्द्रीय मूल्यांकन पद्धति लागू करने बाबत – इस संबंध में पत्र क्रमांक 9310 दिनांक 17.11.2016 को जारी किया गया था। महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ; स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ; महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर एवं राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा निर्देषों की पालना नहीं किया जाना पाया गया। कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा सूचना Nil दर्शाई गई। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस संबंध में कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर एवं कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर से जवाब चाहा गया। कुलपति, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा सूचित किया गया कि इस बिन्दु पर पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित कर दी जायेगी। कुलपति,	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ; स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ; महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर; कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा इस संबंध में पालना आगामी कुलपति समन्वय समिति की बैठक से पूर्व करने बाबत निर्देशित किया गया।	महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर ; स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर ; महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर; कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर एवं श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

		श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा बताया गया कि इस संबंध में कार्यवाही प्रक्रियाधीन है एवं शीघ्र ही केन्द्रीय मूल्यांकन व्यवस्था लागू की जायेगी। सचिव, माननीय राज्यपाल द्वारा निर्देशों की पालना 40 माह उपरांत भी नहीं किये जाने पर खेद व्यक्त किया गया एवं निर्देशित किया कि कुलपति समन्वय समिति की आगामी बैठक तक निर्देशों की पालना पूर्ण हो जानी चाहिए। **प्लेसमेंट पॉलिसी गाईडलाइन निर्धारित करने बाबत** – इस संबंध में प्रो. दीपक सक्सेना, राजस्थान विश्वविद्यालय के संयोजन में एक उप समिति का गठन किया गया। प्लेसमेंट पॉलिसी गाईडलाईन का प्रारूप प्राप्त हो चुका है एवं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को टिप्पणी बाबत् प्रेषित किया गया है। प्रत्युत्तर प्रतीक्षित है। इस संबंध में सचिव, राज्यपाल द्वारा सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को राज्य सरकार की टिप्पणी शीघ्र प्रेषित करने बाबत आग्रह किया गया। **सभी विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक संवर्ग हेतु समान सेवा–नियम लागू करने बाबत** – इस संबंध में	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रकरण में अपनी टिप्पणी से राजभवन सचिवालय को शीघ्र अवगत कराएगा।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग

		कुलसचिव, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर को नोडल अधिकारी नियुक्त कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो गई है एवं राज्य सरकार को टिप्पणी बाबत् प्रेषित की गई है। प्रत्युत्त प्रतीक्षित है। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा आशा की गई कि इस संबंध में टिप्पणी शीघ्र ही उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा प्रेषित की जायेगी।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रकरण में अपनी टिप्पणी से राजभवन सचिवालय को शीघ्र अवगत कराएगा।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
		विश्वविद्यालयों की चयन समिति में कुलसचिव, वित्त नियंत्रक एवं अन्य संबंधित अधिकारियों को सम्मिलित करने बाबत् – इस विषय पर तत्कालीन अतिरिक्त मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग के साथ दिनांक 06.03.2017 को बैठक आयोजित की गई एवं उनके द्वारा इस विषय का परीक्षण कराये जाने हेतु आशवस्त किया गया था। सचिव, राज्यपाल द्वारा इस संबंध में शीघ्र टिप्पणी बाबत सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग से आग्रह किया गया। साथ ही सचिव, राज्यपाल द्वारा कुलपतिगण से आग्रह किया गया कि वे सुनिश्चित करें कि विश्वविद्यालय में नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी एवं प्रमाणिक हो।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग प्रकरण में अपनी टिप्पणी से राजभवन सचिवालय को शीघ्र अवगत कराएगा।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
		विश्वविद्यालयों में लेखा सेवा के अधिकारियों/कर्मचारियों की नियुक्ति बाबत् – समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को		

		राजभवन के पत्र क्रमांक 9206 दिनांक 10.12.2016 द्वारा विश्वविद्यालय स्तर पर लेखा अनुभाग में पदों की स्थिति का आकलन कर राज्य सरकार को लेखा सेवा के अधिकारीयों /कर्मचारियों की नियुक्ति बाबत पत्र लिखने हेतु निर्देशित किया गया। इस संबधं में जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से सूचना Nil में दर्शाई गई है।	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय इस संबंध में पालना रिपोर्ट शीघ्र प्रेषित करे।	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर
		समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों को RTPP Act, 2013 एवं RAPSAR Act, 1999 लागू करने बाबत – इस संबंध में पत्र क्रमांक 9218 दिनांक 11.11.16 को जारी किया गया। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि 22 विश्वविद्यालयों द्वारा पालना पूर्ण कर ली गई है। सचिव, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालय से आग्रह किया गया कि विश्वविद्यालय वास्तविक स्तर पर इन दोनों अधिनियमों की पालना सुनिश्चित करें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय इन दोनों अधिनियमों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित करेंगे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
		समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक को लिंक अधिकारी बनाये जाने बाबत – पत्र क्रमांक 9304 दिनांक 16.11.16 को जारी किया गया। विशेषाधिकारी, उच्च		

		शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि 22 विश्वविद्यालयों द्वारा पालना पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में सचिव, राज्यपाल द्वारा बताया गया कि कतिपय विश्वविद्यालय अभी भी ऐसे है जो वास्तविकता में इसकी पालना नहीं कर रहे हैं। यदि कोई कुलसचिव अवकाश पर जाये या किसी अन्य कारण से कुलसचिव का पद रिक्त है तो कुलपतिगण सुनिश्चित करें कि कुलसचिव का प्रभार वित्त नियंत्रक को दिया जावे। इसी प्रकार वित्त नियंत्रक के अवकाश या अन्यथा रिक्ति पर प्रभार कुलसचिव को दिया जावे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय इन निर्देशों की पालना सुनिश्चित करेंगे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
		विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के अंतर विश्वविद्यालय स्थानान्तरण बाबत समान पारदर्शी स्थानान्तरण नीति – इस विषय में नीति का प्रारूप प्रस्तुत करने बाबत कुलसचिव मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय को नोडल अधिकारी बनाया गया। रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है जिसकी प्रति ग्रुप ऑफ रजिस्ट्रार के सभी सदस्यों को टिप्पणी/सुझाव बाबत दिनांक 16.01.2019 को प्रेषित की गई। कुलसचिव, जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं कुलसचिव, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय से टिप्पणी अप्राप्त है।	कुलसचिव जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अपनी टिप्पणी से राजभवन सचिवालय को शीघ्र अवगत करायेंगे।	कुलसचिव जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय एवं कुलसचिव राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय

		इन्टीग्रेटेड हायर एज्यूकेशन पोर्टल बाबत – राजभवन के स्तर पर इन्टीग्रेटेड हायर एज्यूकेशन पोर्टल पर राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा भाग लिये जाने के संबंध में दिनांक 02.01.2018 एवं 10.01.2018 को विश्वविद्यालयों के नोडल अधिकारीगण एवं DoIT&C के अधिकारियों के साथ बैठक राजभवन पर आयोजित की गई एवं तद्नुसार विश्वविद्यालयों द्वारा एडमिशन एवं संबद्धता मोड्यूल लागू करने का निर्णय लिया गया। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि 19 विश्वविद्यालयों द्वारा पालना पूर्ण कर ली गई है। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा पालना पूर्ण नहीं की गई है एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा सूचना Nil में दर्शायी गई है। सचिव, राज्यपाल द्वारा बताया गया कि वास्तविक स्तर पर विश्वविद्यालयों द्वारा इसकी पालना पूर्ण नहीं की जा रही है। विश्वविद्यालयों द्वारा निजी सेवा प्रदाता से ऑनलाईन संबंधी कार्य करवाये जा रहे हैं जो उचित नहीं है। इससे डेटा के संकलन में भी कठिनाई होती है। साथ ही विश्वविद्यालयों के डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हेाती। अतः विश्वविद्यालय DoIT&C के सर्वर पर समस्त	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में राजभवन के निर्देशों की पालना की जायेगी जिसकी पालना रिपोर्ट अगली कुलपति समन्वय समिति की बैठक में रखी जायेगी।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		ऑनलाईन प्रकियाएं सुनिश्चित करे। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस संबंध में निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय से उत्तर चाहा गया। कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय द्वारा सूचित किया गया कि उनके पास इस विश्वविद्यालय का अतिरिक्त चार्ज है तथा उनका मूल पदस्थान महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर में है। उनके द्वारा दो माह पूर्व ही इस संबंध में राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के अधिकारियों को निर्देश दे दिये गये थे। किन्तु उसकी पालना विश्वविद्यालय के अधिकारियों द्वारा नहीं की जा रही है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा कुलपतिगण को निर्देशों की कडाई से पालना सुनिश्चित किये जाने बाबत निर्देशित किया गया तथा कहा कि चाहे निर्देशों में लिखित में अनिवार्यता की बाध्यता न हो किन्तु महत्वपूर्ण निर्देश तो अनिवार्य रूप से ही पालन किये जाने चाहिए। सचिव, राज्यपाल द्वारा इस संबंध में कुलपतिगण को सूचित किया गया कि इस विषय पर पालना रिपोर्ट अगली कुलपति समन्वय समिति की बैठक में अवश्य ली जायेगी। विशेष कार्य अधिकारी, राज्यपाल द्वारा इस संबंध में विश्वविद्यालयों से कहा गया कि ऑनलाईन प्रक्रिया हेतु सरकारी सुविधा होते हुए भी		

		प्राइवेट वेन्डर से कार्य कराया जाना वित्तीय विसंगति की स्थिति उत्पन्न कर सकता है।		
		महान व्यक्तित्व पर शोधपीठ – इसके संबंध में राजभवन द्वारा निर्देश पत्र दिनांक 16.05.2016 के माध्यम से जारी किये गये जिसकी पालना स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा नहीं किया जाना पाया गया।	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर पालना शीघ्र पूर्ण करेंगे।	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर
		नये स्थापित विश्वविद्यालयों के संपत्तियों/दायित्वों के मूल विश्वविद्यालयों से बटवारें के संबंध में – विश्वविद्यालयों के दायित्वों/संपत्तियों के बंटवारे बाबत् माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये थे कि संबंधित कुलपतिगण आपस में एक बैठक आयोजित कर उक्त समस्त विवादो का निस्तारण करें तथा एक संयुक्त रिपोर्ट दिनांक 31.08..2016 तक राजभवन को प्रस्तुत करें। इस क्रम में कुलपति, स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई किन्तु कोई स्थाई समाधान प्रस्तुत नहीं किया गया। तत्पश्चात राजभवन सचिवालय	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निम्नानुसार कमेटी का गठन आदेशित कर उक्त कमेटी को अपनी रिपोर्ट एक माह के भीतर प्रस्तुत करने बाबत् निर्देशित किया गया – (i) अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, (ii) प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, (iii) शासन सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग,	राजभवन सचिवालय

		द्वारा दिनांक 06.06.2017 को प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर को समिति की बैठक दिनांक 10.02.2017 व 28.4.2017 के कार्यवाही विवरण संलग्न करते हुए विवादों के स्थाई समाधान हेतु लिखा गया। तथापि अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। इस संबंध में राज्य सरकार को दिनांक 16.10.19 को पत्र प्रेषित किया गया है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस संबंध में प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग से जवाब चाहा गया। प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग द्वारा बताया गया कि इस मामले में कई याचिकाये माननीय न्यायालय में लंबित हैं। यह समस्या स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर के विभाजन पश्चात स्थापित हुए नवीन कृषि विश्वविद्यालयों से संबंधित है। पेंशन मूलतः विश्वविद्यालयों का दायितव है। किन्दु विश्वविद्यालयों के पास इस बाबत पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं हैं। प्रकरण में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर की 14 हैक्टेयर भूमि जयपुर मैट्रो को दी गई है एवं यह निर्णय लिया गया है कि इसको विक्रय करने के उपरांत जो राशि आयेगी उसका 30 प्रतिशत भाग विश्वविद्यालय को दिया जायेगा। किन्तु यह प्रक्रिया अभी पूर्ण नहीं हुई है एवं जेडीए द्वारा भूमि की निलामी की जा रही है। इसी बीच मई में माननीय न्यायालय द्वारा एक निर्णय दिया गया है। जिसमें	(iv) कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा (v) कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर	

		राज्य सरकार को पेंशन निस्तारण बाबत राशि विश्वविद्यालय को देने हेतु कहा गया। राज्य सरकार इस निर्णय की पालना में रू 4.5 करोड की राशि का भुगतान स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर को लोन के रूप में प्रतिमाह किया जा रहा है। किन्तु यह राशि वर्तमान पेंशन दायित्वों को पूर्ण करने बाबत दी जा रही है एवं लंबित पेंशन प्रकरणों के संबधं में कोई स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। कुलपति, मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि यह समस्या मात्र कृषि विश्वविद्यालयों की नहीं है बल्कि सभी सामान्य विश्वविद्यालयों में भी पेंशन निस्तारण एक समस्या है जिसपर नीतिगत निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय एवं महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर दोनों को जमीन आवंटित की गई थी जिसके विक्रय से एक पेंशन कोष का निर्माण होना था। किन्तु अभी तक इस क्रम में कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है। जब इस तरह के प्रकरण माननीय न्यायालय के समक्ष जाते है तो न्यायालय द्वारा यही निर्देशित किया जाता है कि यह राज्य सरकार का दायित्व है। अतः इस विषय पर नीतिगत निर्णय लिये जाने की अत्यंत आवश्यकता है। कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में निवेदन किया गया कि पेंशन के मुद्दे पर सबसे अधिक पीडित विश्वविद्यालय राजस्थान विश्वविद्यालय है। इस पर माननीय राज्यपाल एवं		

		कुलाधिपति महोदय द्वारा कहा गया कि पेंशन का विषय मूलतः कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर के संदर्भ में उठाया गया है एवं आवश्यक है कि विश्वविद्यालय एवं राज्य सरकार इस मुद्दे पर बैठकर चर्चा करे एवं कोई समाधान ढूंढे जिससे कि किसी एक पर पूरा भार नहीं आये। प्रमुख शासन सचिव, कृषि विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि पेंशन प्रकरणों के निस्तारण बाबत एक कोष बनाया जाना आवश्यक है। माननीय राज्यपाल द्वारा इस संबंध में एक कमेटी का गठन आदेशित किया गया। **विश्वविद्यालयों में सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना** – इस विषय के संबंध में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा सूचना Nil में दर्शायी गई है। इस संबंध में सचिव, राज्यपाल द्वारा सुझाया गया कि विश्वविद्यालय RESCO मॉडल पर काम करें जिसके अंतर्गत निवेश शून्य होता है एवं विश्वविद्यालय को सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना बाबत् मात्र जगह देनी होती है। इससे विश्वविद्यालय को बचत भी होती है।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय इस संबंध में प्रयास करें। कोई भी विश्वविद्यालय आगे से सूचना Nil में नहीं प्रेषित करे एवं स्पष्ट सूचना प्रेषित करे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		मूक बधिर छात्रों को निःशुल्क शिक्षा – इस विषय पर विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि प्राप्त पालना रिपोर्ट के अनुसार विशिष्टीकृत/तकनीकी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश केन्द्रीय सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा के तत्वावधान दिया जाता है। अतः इस तरह के नियम लागू करना संभव नहीं है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस विषय का Scope विस्तृत कर समस्त दिव्यांगजन को सम्मिलित करने बाबत निर्देशित किया गया।	इस विषय का Scope विस्तृत कर समस्त दिव्यांगजन को सम्मिलित करने बाबत निर्देशित।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
		विद्यार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति की अनिवार्यता को कडाई से लागू करना – विद्यार्थियों की न्यूनतम 75 प्रतिशत की उपस्थिति की अनिवार्यता को कडाई से लागू किये जाने तथा कम उपस्थिति के संबंध में अभिभावकों को मासिक आधार पर सूचित किये जाने की व्यवस्था के संबधं में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि 22 विश्वविद्यालयों द्वारा पालना पूर्ण कर ली गई है। इस संबंध में सचिव, राज्यपाल का मत था कि 75 प्रतिषत की उपस्थिति को व्यावहारिक रूप से सुनिश्चित किया जाना चाहिए एवं ऐसा प्रतीत नहीं होता कि मानविकी संकायों में 75 प्रतिशत की उपस्थिति होती होगी। इस संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का मत था कि विश्वविद्यालयों	विश्वविद्यालय अपने प्रयास अन्य विश्वविद्यालयों के साथ साझा करेंगे जिससे कि सफल प्रयास अन्य विश्वविद्यालयों के लिए भी अनुकरणीय बन सकें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		द्वारा इस संबंध में प्रयास किया जाना प्रतीत होता है एवं यदि प्रयास सफल रहा है तो उसे मंच पर सबके साथ साझा करने की आवश्यकता है जिससे कि वह प्रयास अन्य विश्वविद्यालय के लिए भी अनुकरणीय बन सके। इस संबंध में बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के कुलपति द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक Application विकसित की गई है जिसके द्वारा मोबाईल पर उपस्थिति लिया जाना संभव है तथा इससे अनुपस्थित रहे विद्यार्थियों के अभिभावकों को भी सूचित किया जा सकता है। कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा इस संबंध में तीन प्रयास किये गये है– (1) एकस्ट्रा क्लासेज लगाना, (2) गांवों में प्रशिक्षण कार्यक्रम (Internship) जिससे विद्यार्थी अपनी उपस्थिति सुनिश्चित कर सकें एवं (3) मासिक आधार पर अभिभावकों को सूचित करना। इस संबंध में कुलपति, राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा बताया गया कि साप्ताहिक आधार पर विश्वविद्यालय में इन्टीग्रेटेड यूनिवर्सिटी अटेन्डेन्स के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित की जाती है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा कहा गया कि ऐसे प्रयासो की सराहना की गई एवं कहा गया कि ऐसे प्रयासों से चाहे 75 प्रतिशत की उपस्थिति नहीं हुई हो किन्तु उपस्थिति में बढोतरी अवश्य हुई है।		

		विद्यार्थियो के साथ साथ शिक्षकों की भी निर्धारित नॉर्मस के अनुसार उपस्थिति एवं ठहराव सुनिश्चित किया जावे – इस विषय के संबंध में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि राजस्थान आई. एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर को छोडकर सभी विश्वविद्यालयों द्वारा पालना पूर्ण कर ली गई है। राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर एक प्रशासनिक विश्वविद्यालय है एवं स्वयं के कोई विद्यार्थी नहीं है। इस पर राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में भी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।	संबद्ध महाविद्यालयों/संस्थानों में भी निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जावे।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय
		रिक्त पदों को भरे जाने के संबंध में एक कलैण्डर तैयार किया जाकर विज्ञापन से लेकर नियुक्ति पत्र जारी किये जाने तक का दिनांकवार लक्ष्य निर्धारित करने बाबत – किया जावे के संबंध में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा		

		रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था जो अस्वीकार कर दिया गया। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर एवं जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा पालना नहीं की गई है।	इस बिन्दु पर मुख्य एजेन्डा में विचारार्थ बिन्दु रखा गया है, जिसपर आगे चर्चा होगी।	–
		अशैक्षणिक पदों के संबंध में समीक्षा की जाकर अति आवश्यक पदों को ही भरें जाने के प्रस्ताव तैयार किये जाने बाबत् – इस विषय के संबंध में विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि सरदार पटेल पुलिस, सुरक्षा एवं दाण्डिक न्याय विश्वविद्यालय, जोधपुर ने सूचित किया है कि विश्वविद्यालय द्वारा रिक्त पदों पर भर्ती हेतु राज्य सरकार को प्रस्ताव भेजा गया था जो अस्वीकार कर दिया गया। राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा पालना नहीं की गई है।	इस बिन्दु पर मुख्य एजेन्डा में विचारार्थ बिन्दु रखा गया है, जिसपर आगे चर्चा होगी।	–
		विभिन्न पदों हेतु भर्ती प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शी व शुचितापूर्ण होनी चाहिए – इस विषय पर सचिव, राज्यपाल द्वारा प्रस्तावित किया गया कि नियुक्तियों में नियमानुसार प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की जानी चाहिए। इस संबंध में कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा अपना हरियाणा में किया गया अनुभव		

		साझा किया गया। इसमें नियुक्तियों बाबत 50 प्रतिशत अंक लिखित परीक्षा के, 30 प्रतिशत अतिरिक्त पाठयक्रम गतिविधियों के एवं शेष 20 प्रतिशत अंक में से 10 प्रतिशत अंक विद्यार्थी के Presentation के होते हैं जिसकी विडियोग्राफी भी की जाती है और 10 प्रतिशत अंक साक्षात्कार के होते हैं। इस व्यवस्था में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहती है। इस संबंध में कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा बताया गया कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रत्येक गतिविधि की भारिता तय की गई है जिसका पालन किया जाना चाहिए। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि प्रो. देव स्वरूप द्वारा बताया गया कि अकादमिक weightage, अनुसंधान weightage, Domain knowledge एवं Presentation के आधार पर अंक निर्धारित हैं, जिनकी पालना की जानी चाहिए। पालना नहीं होने के कारण नियुक्ति प्रकरणों में Litigation हो रहे है। यदि नियुक्ति प्रक्रियाओं में Litigation अधिक हो रहे हैं तो यह विचारणीय विषय है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि कुलपतिगण सुनिश्चित करें कि नियुक्तियों में यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी रहे। नियुक्तियों की जानकारी भी राजभवन को प्रेषित की जानी चाहिए।	कुलपतिगण सुनिश्चित करें कि नियुक्तियों में यूजीसी द्वारा निर्धारित दिशा–निर्देशों की पूर्ण पालना की जावे एवं नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी रहे। नियुक्ति पूर्व समस्त सूचना राजभवन को प्रेषित की जानी चाहिए।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		स्मार्ट विलेज के संबंध में – इस विषय पर श्री शलभ कुमार निदेशक, जनजाति कल्याण प्रकोष्ठ राजभवन द्वारा एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण दिया गया। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि राजभवन द्वारा इस विषय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना समय पर की जाकर राजभवन को प्रगति से अवगत कराया जावें।	राजभवन द्वारा इस विषय पर जारी दिशा निर्देशों की पालना समय पर की जाकर राजभवन को प्रगति से अवगत कराया जावें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

3.	**राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग के रिक्त पदों की स्थिति एवं भर्ती की कार्य योजना**	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सूचित किया गया कि विश्वविद्यालयों से प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 01.04.2019 को विश्वविद्यालयों में कुल स्वीकृत 3729 शैक्षणिक पदों के विरूद्ध 1931 पद रिक्त हैं एवं कुल स्वीकृत 7882 अशैक्षणिक पदों के विरूद्ध 3327 पद रिक्त हैं। इस संबंध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि प्रो. देव स्वरूप द्वारा चिंता जताई गई कि यदि विश्वविद्यालयों में इतने पद रिक्त रहते है तो राजभवन द्वारा जारी निर्देशों की पालना किया जाना कठिन है। कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा कहा गया कि नियुक्तियों के अभाव में विश्वविद्यालयों को NAAC में भी कठिनाई आती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के प्रतिनिधि प्रो. देव स्वरूप द्वारा कहा गया कि यह NAAC एवं NIRF रैंकिंग दोनों के लिए महत्वपूर्ण मापदण्ड है। प्रो. अभय जेरे द्वारा कहा गया कि यह सिर्फ राष्ट्रीय रैंकिंग के लिए ही महत्वपूर्ण मापदण्ड नहीं अपितु अंतराष्ट्रीय रैंकिंग के लिए भी महत्वपूर्ण मापदण्ड है, उदाहरण स्वरूप ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हमारे देश का प्रदर्शन बहुत ही खराब है एवं उसमें भी शिक्षा क्षेत्र में प्रदर्शन चिंताजनक है। इसका एक मुख्य कारण खराब विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालयों में एक आधारभूत आवश्यकता है एवं राज्य सरकार को इस संबंध में गहनता से विचार करना चाहिए, ताकि	रिक्त पदों पर नियुक्ति करने के पूर्व विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि शैक्षणिक पदों के संबंध में यूजीसी/रेगुलेटरी बॉडी द्वारा निर्धारित योग्यताओं के अनुरूप प्रावधानों में यथोचित संशोधन किया जाकर नियुक्तियां की जावे एवं अशैक्षणिक संवर्ग हेतु राज्य सरकार द्वारा निर्धारित समकक्ष पदों हेतु योग्यताएं अपनायी जावें। राज्य सरकार द्वारा आरक्षण के संबंध में निर्धारित नीति की पालना सुनिश्चित करते हुए विश्वविद्यालय रोस्टर निर्धारण संबंधी कार्यवाही दिनांक 30.11.2019 तक पूर्ण करते हुए राजभवन को सूचित करें। विश्वविद्यालयों से अपेक्षित है कि वे अभी हाल ही वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 18.10.2019 द्वारा जारी राजकीय व्यय में मितव्ययता के दिशा–निर्देशों के अनुरूप नियुक्ति कलेण्डर तैयार कर समयबद्ध कार्यवाही करें। विश्वविद्यालय अपने स्टेटयूटस/नियम/परिनियम तैयार कर कुलाधिपति महोदय के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय नियुक्तियां करने से पूर्व राजभवन को सूचित करें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		विश्वविद्यालयों में समय पर शिक्षकों की नियुक्ति हो। इसके लिए वित्तीय संसाधन की आवश्यकता तो है लेकिन चूंकि यह आधारभूत आवश्यकता है अतः इस पर राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय दोनों विचार करें। विश्वविद्यालय भी अपनी आय बढाने के स्त्रोतों पर विचार करें। गैर शैक्षणिक पद तो आउटसोर्स किये जा सकते है। किन्तु शैक्षणिक पदों पर नियुक्तियां किया जाना अतिआवश्यक है। इस संबंध में शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा द्वारा बताया गया कि शैक्षणिक पदों पर आरक्षण के नवीनतम निर्देशों के अनुसार रोस्टर भी तय किया जाना है जो विश्वविद्यालयों द्वारा अभी नहीं बनाये गये हैं। यदि रोस्टर नहीं बनाये जाते हैं तो वित्त विभाग से स्वीकृति होते हुए भी विश्वविद्यालय नियुक्तियां नहीं कर पायेंगे। अतः इसके लिए एक समयसीमा निर्धारित की जानी चाहिए। कुलपति, महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा इस संबंध में निवेदन किया गया कि यदि विश्वविद्यालय नियुक्तियों का वित्तीय भार उठाने में सक्षम है तो उसे राज्य सरकार से पदों को भरे जाने के संबंध में स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक नहीं होना चाहिए। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी विश्वविद्यालय अपने आरक्षण रोस्टर दिनांक 30.11.2019 तक तैयार कर राजभवन को प्रेषित करें। प्रो. देव स्वरूप द्वारा सुझाव दिया गया कि विश्वविद्यालय अपने रोस्टर का परीक्षण कार्मिक विभाग, राजस्थान सरकार से अवश्य करायें		

		जिससे नियुक्तियों में कठिनाई नहीं आवे। कुलपति, राज ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा 100 पोइन्ट रोस्टर के संबंध में उनके द्वारा तैयारी की गई है एवं कतिपय विसंगतियां पाई गई हैं जिनका निराकरण कराया जाना आवश्यक है। कुलपति, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर द्वारा कहा गया कि कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर में पदों की स्वीकृति एंव उसका वित्तीय भार ICAR द्वारा वहन किया जाता है। अतः ऐसे प्रकरण जहां राज्य सरकार पर कोई वित्तीय भार नहीं आता, में राज्य सरकार की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं होना चाहिए। कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा कहा गया कि उनके द्वारा 100 पोइन्ट रोस्टर निर्धारण बाबत कमेटी का गठन कर दिया गया है एवं विश्वविद्यालयमें 410 रिक्तियों को भरे जाने की स्वीकृति एक बार में ही दे देनी चाहिए, जिससे बार बार रोस्टर निर्धारण करने में आ रही कठिनाईयों से बचा जा सके। कुलपति, बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, बीकानेर द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय को रिक्त पदों पर भर्ती करने हेतु राज्य सरकार से प्राप्त स्वीकृति में लिखा गया है कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर वित्तीय भार वहन करे। किन्तु विश्वविद्यालय इसमें सक्षम नहीं है। यदि वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जाता है तो विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पायेगी। कुलपति, कोटा विश्वविद्यालय, कोटा		

		द्वारा भी निवेदन किया गया कि रोस्टर निर्धारण करने के पूर्व ही रिक्त पदों को भरने संबंधी स्वीकृति राज्य सरकार से प्राप्त हो जाये तो विश्वविद्यालय को सुविधा होगी।		
4.	**राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा एवं सुधार हेतु उपाय**	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि राजभवन स्तर पर इस संबंध में 4 विश्वविद्यालयों के वित्त नियंत्रक एवं राज्य सरकार के प्रतिनिधि को सम्मिलित करते हुए एक समिति का गठन किया गया था, जिसने अंतरिम रिपोर्ट दिनांक 02.11.2019 को प्रस्तुत कर दी है। इस अंतरिम रिपोर्ट में विश्वविद्यालयों की वित्तीय स्थिति में सुधार बाबत 21 अनुशंषाएं प्रस्तुत की गई हैं। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा सदन के समक्ष समिति की अनुशंषाएं रखी गईं। सचिव, राज्यपाल द्वारा अनुरोध किया गया कि विश्वविद्यालय एल्यूमिनाई को जोडने एवं विश्वविद्यालयों के पास उपलब्ध भूमि जैसे– राजस्थान विश्वविद्यालय के पास जे.एल.एन. मार्ग पर उपलब्ध भूमि, के रूप में संसाधन के समुचित उपयोग बाबत कार्यवाही करें। कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि जयपुर राजपरिवार द्वारा यह भूमि विश्वविद्यालय को इस शर्त पर दी गई थी कि इसका व्यवसायिक उपयोग नहीं किया जायेगा, मात्र अकादमिक उपयोग किया जायेगा। अतः यह भूमि मात्र अकादमिक कार्यों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उपयोग में ली जा सकती है। प्रो0 देवस्वरूप द्वारा बताया गया कि यदि विश्वविद्यालय भामाशाहों से वित्तीय सहायता लेना	विश्वविद्यालय आयकर छूट प्रमाण पत्र एवं FCRA Clearance बाबत कार्यवाही दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर राजभवन को सूचित करें। विश्वविद्यालय अपनी निधि का निवेश नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में करें। आय के साधनों को बढाने बाबत विश्वविद्यालय अपने स्तर पर बैठक आयाजित कर कार्यवाही करें। विश्वविद्यालय सुनिश्चित करें कि किन विषयों की समय के अनुसार आवश्यकता है एवं विश्वविद्यालय इस संबधं में बिंदु निर्धारित करें जिनके आधार पर पाठ्यक्रम का पुनर्निधारण किया जाना है। विश्वविद्यालय अपने सम्बद्धता प्राप्त महाविद्यालयों की वेबसाईट बनवाये एवं उसे अपडेट करावें। कृषि विभाग सुनिश्चित करे कि कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा सर्टिफाइड उन्नत बीजों के विक्रय पर राज्य सरकार की सब्सिडी योजना का लाभ मिले। कृषि विश्वविद्यालय अपनी भूमि का उपयोग व्यवसायिक उत्पादन/ऑर्गेनिक किस्म के	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		चाहते है तो उन्हें पहले इस संबधं में आयकर छूट प्रमाण पत्र 80G में प्राप्त किया जाना आवश्यक है। कुलपति, राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा बताया गया कि राजस्थान विश्वविद्यालय की एल्यूमिनाई एसोसिएशन बहुत सुदृढ है किंतु जब भी कोई पूर्व छात्र वित्तीय सहायता देना चाहता है तो उसे सिंडीकेट के समक्ष विचारार्थ रखा जाता है अतः इस संबधं में समान नियम बनाये जाने की आवश्यकता है। प्रो0 अभय जेरे द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालयों को अन्तर्राष्ट्रीय सहायता बाबत FCRA Clearance की भी आवश्यकता होती है। अतः विश्वविद्यालय FCRA Clearance भी प्राप्त करें। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय आयकर छूट प्रमाण पत्र एवं FCRA Clearance बाबत पंजीकरण संबंधी कार्यवाही दिनांक 31 दिसम्बर, 2019 तक पूर्ण कर पालना रिपोर्ट राजभवन को प्रस्तुत करें। विश्वविद्यालय अपनी निधि का निवेश नियमानुसार राष्ट्रीयकृत बैंकों में करें। आय के साधनों को बढाने बाबत विश्वविद्यालय अपने स्तर पर बैठक आयाजित कर कार्यवाही करें। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा एजेण्डा बिंदु क्रमांक 3 एवं 4 के संबंध में निम्नानुसार सुझाव दिये गये – • विश्वविद्यालय अपने कुलसचिव/वित्त नियंत्रक के माध्यम से बजट संबंधी प्रस्ताव	उत्पादन के लिए करे एवं इस हेतु अन्य विश्वविद्यालयों से भी संपर्क करें। अंतरिम रिपोर्ट की समस्त अनुशंषाओं पर संबंधित विश्वविद्यालयों द्वारा समुचित प्रस्ताव राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये।	

		वित्त विभाग को प्रस्तुत करें जिससे कि यह प्रस्ताव बीएफसी में रखे जा सके। • कुछ विश्वविद्यालयों का कहना है कि ऐसे पद जिनका वित्तीय भार राज्य सरकार द्वारा वहन नहीं किया जा रहा है, के संबधं में राज्य सरकार की स्वीकृति की आवश्यकता की बाध्यता समाप्त की जाये, किंतु विश्वविद्यालयों में कतिपय पद प्रोजेक्टस के संबंध में सृजित होते है, जिनका वित्तीय भार केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा एक निश्चित अनुपात में वहन किया जाता है अथवा प्रोजेक्ट अवधि के लिए उसका वित्तीय भार केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है किंतु उस प्रोजेक्ट के समाप्त होने के पश्चात ऐसे पदों का वित्तीय राज्य सरकार को वहन करना पडता है। अतः पदों एवं नियुक्तियों के संबंध में राज्य सरकार की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। • विश्वविद्यालय वित्तीय अनुशासन का पालन सुनिश्चित करें। विश्वविद्यालयों से वित्त विभाग को कई प्रकरणों ऐसे प्राप्त हुए है जैसे– बिना अनुमति नियुक्तियां, अनुचित वेतन निर्धारण आदि जिससे ज्ञात होता है कि विश्वविद्यालय वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित नहीं कर रहे है न ही राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों की पालन कर रहे है। कुलपति सुनिश्चित करें कि वित्तीय अनुशासन के		

		संबंध में राज्य सरकार के दिशा–निर्देशों की अक्षरशः पालना हो। • पेंशन अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है जिसका निस्तारण किया जाना आवश्यक है। इस संबधं में माननीय राज्यपाल महोदय से एक कमेटी का गठन निवेदित है। • विश्वविद्यालय अपनी आय में से दैनिक गतिविधियों के लिए राशि आरक्षित कर शेष राशि को interest bearing PD Account में डालें। • विश्वविद्यालय कर्मियों को राज्य सरकार के नियमानुसार वेतन भत्ते दिये जावे। • विश्वविद्यालय के प्रबंध मण्डल की बैठकों में वित्त विभाग का भी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जावे। यदि वित्त विभाग का प्रतिनिधि बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हो तो विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक को राज्य सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माना जावें। • RTPP and RAPSAR अधिनियम की पालना पूर्ण रूप से सुनिश्चित की जावे। विश्वविद्यालय मे ंनियुक्तियों से संबंधित Litigation इस बात का द्योतक है कि RAPSAR अधिनियम की पालना नहीं की जा रही है।		

		• कुलपतिगण विश्वविद्यालयों में अपने स्तर पर वित्तीय नियमों की पालना सुनिश्चित करने हेतु अनुश्रवण करें। • न्यायालय में लंबित प्रकरणों के संबंध में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति, अनुश्रवण एवं समय पर जवाब दायर किया जाना तथा विश्वविद्यालय का पक्ष प्रभावी रूप से रखा जाना सुनिश्चित करावें। • विश्वविद्यालय आय बढाने हेतु अपने स्तर पर प्रयास करे एवं राजभवन के स्तर पर गठित समिति की अंतरिम रिपोर्ट में प्रस्तुत की गई अनुशंषाओं पर कार्यवाही करें। • विश्वविद्यालयों के समस्त लेखों का प्रमाणीकरण, नियमित एवं विस्तृत अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा किया जावे। अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग द्वारा आश्वस्त किया गया कि वित्त विभाग द्वारा विश्वविद्यालयों से प्राप्त प्रस्तावों पर समुचित व नियमानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।		
5.	**राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में एकरूपता एवं एक Umbrella Act की आवश्यकता**	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि इस संबधं में राजभवन द्वारा विभिन्न विश्वविद्यालयों के प्रावधानों में एकरूपता बाबत राज्य सरकार को आग्रह किया गया था। राज्य सरकार द्वारा इस संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर राजभवन द्वारा अपनी टिप्पणी दिनांक 11.07.2019 को प्रेषित की जा चुकी है। विशेषाधिकारी	इस संबंध में उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग सामान्य विश्वविद्यालयों के लिए Umbrella Act का प्रारूप तैयार करने बाबत कमेटी गठित करे तथा कृषि विभाग राज्य वित्त पोषित कृषि विश्वविद्यालयों के लिए Umbrella Act का	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग तथा कृषि विभाग।

		द्वारा इस संबधं में समानता बाबत प्रावधानों की सूची भी निम्नानुसार रखी गई – • विश्वविद्यालय के अधिकारियों की परिभाषा, निर्धारित योग्यता, नियुक्ति प्रक्रिया, कर्तव्य एवं अस्थाई व्यवस्था अंतर्गत प्रावधान। • विश्वविद्यालय के प्रमुख निकायों की परिभाषा एवं सूची, गठन, नामितियों की संख्या, नामिति संबंधी योग्यताये एवं कार्य–क्षेत्र। • स्टेच्यूट्स, नियम, परिनियम की विषय सूची एवं इन्हें बनाने की प्रक्रिया। • माननीय कुलाधिपति महोदय की अध्यक्षता में उच्च शिक्षा सलाहकार परिषद् का गठन। • शिकायत निवारण प्रक्रिया एवं पोर्टल संबंधी प्रावधान। • संबद्धता प्रक्रिया संबंधी प्रावधान। • प्रवेश, नामांकन, डिग्री, मानद् उपाधि एवं दीक्षांत समारोह संबंधी प्रावधान। • शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक संवर्ग हेतु निर्धारित योग्यताएं, नियुक्ति प्रक्रिया एवं सेवानियम। • अकादमिक एवं अवकाश कलैण्डर संबंधी प्रावधान। राजभवन द्वारा भी अपने स्तर पर अधिकारियों की टीम से Umbrella Act तथा उत्तरप्रदेश एवं महाराष्ट्र में उच्च शिक्षा संबंधी प्रावधानों का अध्ययन	प्रारूप तैयार करने बाबत कमेटी गठित करे तथा प्रगति रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावे।	

		कराया जाकर एक रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रेषित की गई है। इस विषय पर विश्वविद्यालयों द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि समस्त विश्वविद्यालय एक ही अधिनियम से संचालित नही हो सकते चूंकि विश्वविद्यालयों का गठन अलग–अलग अधिनियम से होता है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा स्पष्ट किया गया कि प्रबंधन और समान procedures के विषय पर ही Umbrella Act बनाया जाना उचित होगा। विश्वविद्यालय Umbrella Act के प्रारूप के संबंध में अपने सुझाव समय आने पर दे सकते हैं। कुलपति, महाराणा प्रताप कृषि एवं प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा बताया गया कि कृषि विश्वविद्यालयों बाबत ICAR द्वारा एक मॉडल एक्ट बनाया गया है। अतः इस मॉडल एक्ट के आधार पर कृषि विश्वविद्यालयों बाबत भी Umbrella Act बनाया जावे। प्रभारी अधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा स्पष्ट किया गया कि समान प्रकृति के विश्वविद्यालय बाबत ही Umbrella Act बनाया जाना प्रस्तावित है।		
6.	**विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने बाबत उपाय**	विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालयों में अनुसंधान की गुणवत्ता सुधारने बाबत् राजभवन द्वारा दिनांक 21.04.2017 को राज्य सरकार की सलाह से पी.एच.डी. गाईडलाईन्स जारी की गई थी। जिसके अनुसार विश्वविद्यालयों को आवश्यकतानुसार अनुसंधान के विषय चिन्हित करने, दाखिले हेतु सीटों की संख्या, उपलब्ध सीटों का	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय राजभवन द्वारा पूर्व में जारी निर्देशों की पालना करे एवं Anti- Plagiarism software की स्थापना कर अगली कुलपति समन्वय समिति की रिपोर्ट में पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।	समस्त राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालय

		विषयवार संवितरण, दाखिले का मानदण्ड एवं प्रक्रिया स्पष्ट रूप से विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु आग्रह किया गया। साथ ही विश्वविद्यालयों को Anti- Plagiarism software स्थापित किये जाने बाबत भी निर्देश दिये गये। पुनः दिनांक 04.07. 2018 को एक परिपत्र के माध्यम से शोध के संबंध में निर्देश जारी किये गये, जिसमें विश्वविद्यालयों को शिक्षकों एवं शोध विद्यार्थियों के शोध पत्रों का राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त पत्र–पत्रिकाओं एवं जर्नल्स में अधिकाधिक प्रकाशन एवं भारतीय विश्वविद्यालयों के सकल शोध प्रकाशन की संख्या में राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों की भागीदारी में बढोतरी बाबत आग्रह किया गया था। समय समय पर राजभवन स्तर से विश्वविद्यालयों के साथ की गई विडियों कांफ्रेसिंग में भी शोध का स्तर सुधारने एवं राजभवन के शोध संबंधी निर्देशों की पालना बाबत् आग्रह किया गया है। प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन एवं समय–समय पर यूजीसी द्वारा जारी शोध संबंधी निर्देशों की पालना किया जाना अपेक्षित है। प्रो0 देवस्वरूप द्वारा बताया गया कि पिछले कुछ समय से एक ग्लोबल phenomena है कि साहित्यिक चोरी को रोका जावे एवं इस संबधं में यूजीसी द्वारा भी दिशा–निर्देश जारी किये जा चुके हैं। यह एक चिन्तनीय विषय है एवं इस पर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है। प्रो0 अभय जेरे द्वारा बताया गया कि शोध हेतु विषय का चयन भी महत्वपूर्ण है एवं ऐसे शोध जो Enterprise एवं Venture में		

		परिलक्षित हो, को बढावा देना आवश्यक है। इससे रोजगार सृजन भी होता है। इस तरह के शोध बाबत विश्वविद्यालयों से डेटा का अभाव है। प्रो0 देवस्वरूप द्वारा इस संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय में सेंटर ऑफ कन्वर्जिंग टेक्नोलॉजिस की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया, जिसके द्वारा रोजगार सृजन भी हुआ है।		
	ऑपन– हाऊस में प्राप्त सुझाव	राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर – NAAC की ग्रैडिंग हेतु केन्द्रीय विश्वविद्यालय, राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय एवं Deemed विश्वविद्यालय सभी के लिए अलग–अलग मापदण्ड होने चाहिए; राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालयों को समुचित मानव संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए; पेंशन प्रकरणों के निस्तारण बाबत राज्य सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जानी चाहिए कोटा विश्वविद्यालय, कोटा – राजभवन द्वारा मानदेय एवं पारिश्रमिक दरों के संबधं में जारी आदेश दिनांक 21.08.2017 का पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावाटी विश्वविद्यालय, सीकर – राजभवन द्वारा मानदेय एवं पारिश्रमिक दरों के संबधं में जारी आदेश दिनांक 21.08.2017 का पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए; विश्वविद्यालय द्वारा राजभवन को प्रस्तुत ऑर्डिनेंस पर त्वरित अनुमोदन दिया जाना चाहिए; शेखावाटी विश्वविद्यालय एवं राजस्थान विश्वविद्यालय के बीच संपत्तियों के बंटवारे बाबत निर्णय लिया गया था जिसपर पूर्ण कार्यवाही नहीं की गई है; प्रशासनिक निर्देश विश्वविद्यालयों के	सुझावों पर विचार किया जावेगा।	राजभवन

		अधिनियम/नियम के अनुरूप जारी किये जाने चाहिए। राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर – विश्वविद्यालय द्वारा अभी हाल ही में Concurrent Award of Skill Diploma शुरू किया गया है जिसे अन्य डिग्रीयों के साथ ग्रहण किया जा सकता है। अतः विश्वविद्यालय इस बाबत कौशल विश्वविद्यालय से संपर्क करें। शासन सचिव, श्रम, नियोजन एवं कौशल विभाग – विश्वविद्यालयों में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को कोई भी तीन कौशल कॉर्सेज का ऑप्शन प्रवेश फॉर्म में दिया जाना चाहिए। यह Initiative राज्य के महाविद्यालयों में भी किया गया है। डॉ. अभय जेरे – विश्वविद्यालयों को अकादमिक उत्कृष्टता बाबत लघुकालीन एवं दीर्घकालीन लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए; पोस्ट डॉक्टरल फेलो की संख्या बढाने बाबत Strategic framework बनाया जाना चाहिए; विश्वविद्यालयों में अकादमिक क्षेत्र में उत्कृष्ट व्यक्तियों की भागीदारी बढाने हेतु Chair स्थापित की जानी चाहिए एवं इसके नॉर्म सामान्य नॉर्म से अलग होने चाहिए। डॉ. देव स्वरूप – विश्वविद्यालयों में अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोधार्थियों का चयन कर यूजीसी की योजनाओं से जोडा जाना चाहिए जैसे– Scheme for Trans-disciplinary Research for Indias Developing Economy (STRIDE) का फायदा मिल सके; नवीन स्थापित विश्वविद्यालयों को यूजीसी		

		की 12B की कैटेगरी में आने का प्रयत्न करना चाहिए; जो महाविद्यालय स्वायत्त श्रेणी बाबत आवेदन करते है उनके आवेदन पर त्वरित कार्यवाही की जानी चाहिए, इस संबंध में राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा अभी बियानी कॉलेज के अभ्यावेदन पर त्वरित कार्यवाही नहीं किया जाना उचित नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी अपेक्षा की जाती है कि निजी विश्वविद्यालया द्वारा अपने विद्यार्थियों और फेकल्टीज के बारे में विस्तृत जानकारी All India Survey of Higher Education के पोर्टल पर अपडेट करते हुए इसकी एक प्रति माननीय महामहिम के पास भी भेजी जानी चाहिए। महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर – विश्वविद्यालयों के लंबित स्टेटयूटस के अनुमोदन बाबत त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए। राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर – जिन विश्वविद्यालयों के स्वयं के स्टेटयूटस अभी तैयार/अनुमोदित नहीं हुए है उन्हें पैतृक विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार नियुक्तियों बाबत कार्यवाही किये जाने की स्वीकृति दी जानी चाहिए। महाराजा सूरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर – विश्वविद्यालयों में नई नियुक्तियों बाबत स्वीकृति शीघ्र दी जानी चाहिए। गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा – विश्वविद्यालय पहले निर्धारित करे कि उन्हें स्नातक कोर्स चलाने है अथवा स्नातकोत्तर कोर्स। स्नातक		

		कोर्स चलाने बाबत अधिक शिक्षकों की आवश्यकता होती है। विश्वविद्यालयों का मुख्य कार्य अनुसंधान प्रेरित करना है। डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपरु – विश्वविद्यालयों को अपने संसाधन साझा करने चाहिए।		
7.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रत्येक वर्ष कराई जाने वाली राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) में प्रतिभागिता	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि राजस्थान राज्य का कोई भी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय वर्ष 2019 की प्रथम 100 रैंकिंग में भी स्थान नहीं बना पाया। समय समय पर राजभवन स्तर से विश्वविद्यालयों के साथ की गई विडियों कांफ्रेसिंग में भी विश्वविद्यालयों को NIRF में प्रतिभागिता बाबत् आग्रह किया गया है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा सूचित किया गया है कि भविष्य में NIRF रैंकिंग को केन्द्र सरकार द्वारा वित्तीय अनुदान का आधार बनाया जावेगा। NIRF रैंकिंग में प्रत्येक विश्वविद्यालय की प्रतिभागिता सुनिश्चित की जावें एवं प्रत्येक विश्वविद्यालय में इस बाबत् कुलपति, कुलसचिव एवं वित्त नियंत्रक को शामिल करते हुए एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया जावे। जिसकी अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट राजभवन को नियमित रूप से प्रस्तुत की जावे। इस संबंध में विश्वविद्यालयों का मत था कि चूंकि स्टुडेंट टीचर अनुपात एक महत्वपूर्ण मापदण्ड है जो कि राज्य सरकार से प्राप्त नियुक्तियों के संबंध में स्वीकृति पर निर्भर करता है अतः विश्वविद्यालय इस रैंकिंग में भाग नहीं लेते। इस संदर्भ में प्रो0 देवस्वरूप का मत	प्रत्येक विश्वविद्यालय द्वारा NIRF में आवश्यक रूप से भाग लिया जाएगा तथा उससे संबंधित मानकों में सुधार की समीक्षा नियमित रूप से संबंधित कुलपति के स्तर पर की जावेगी।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय

		था कि समस्याऐं है लेकिन विश्वविद्यालयों का NIRF रैंकिंग में भाग लेना आवश्यक है जिससे अन्य मापदण्डों पर competitiveness बनी रहती है। सचिव, राज्यपाल महोदय द्वारा भी विश्वविद्यालयों को रैंकिंग मे भाग लेने हेतु कहा गया।		
8.	**कौशल विकास एवं स्टूडेंट स्टार्ट अप पॉलिसी**	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि राजस्थान, देश का प्रथम राज्य है जिसने कौशल विकास हेतु राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय की स्थापना की है। राजभवन द्वारा डॉ. ललित के. पंवार, कुलपति, राजस्थान आई.एल.डी. कौशल विश्वविद्यालय, जयपुर के संयोजन में एक कमेटी का गठन किया गया, जिसके द्वारा राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में भारत सरकार की स्टूडेन्ट स्टार्ट अप पॉलिसी को विश्वविद्यालय में लागू करने बाबत् एक रोडमेप तैयार किये जाने संबंधी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। यह रिपोर्ट राजभवन द्वारा मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार को दिनांक 09.03.2019 को प्रेषित की जा चुकी है। भारत सरकार द्वारा उक्त स्टूडेन्ट स्टार्ट अप पॉलिसी में कतिपय संशोधन उपरान्त पुनः एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट अभी हाल ही में जारी किया गया। इसके पश्चात डॉ0 अभय जेरे, चीफ इनोवेशन ऑफिसर, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा इस विषय पर एक पॉवर पाईन्ट प्रजेन्टेशन दिया गया। इस विषय पर चर्चा उपरांत माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय का मत था कि विश्वविद्यालय अपने स्तर पर incubation सेंटर स्थापित करें,	भारत सरकार की नवीन स्टूडेंट स्टार्ट अप पॉलिसी के संबंध में राज्य सरकार शीघ्र अपना दृष्टिकोण राजभवन को प्रस्तुत करे जिससे पॉलिसी लागू करने बाबत विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया जा सके। विश्वविद्यालयों अपने यहां Incubation centers की स्थापना करें ताकि विद्यार्थियों में Innovations, Trainings को प्रोत्साहित किया जा सके। विद्यार्थियों को यथोचित सुविधाएं उपलब्ध करावें एवं नए स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन दे। डॉ0 अभय जेरे से संपर्क कर विश्वविद्यालयों के स्तर पर स्टूडेन्ट स्टार्ट अप पॉलिसी बाबत orientation सैशन आयोजित करावें।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय

		विद्यार्थियों को इनोवेशन बाबत प्रोत्साहित करें एवं सुविधाएं उपलब्ध करावें, नए स्टार्ट–अप को प्रोत्साहन दे तथा इस बाबत डॉ0 अभय जेरे से संपर्क कर विश्वविद्यालयों के स्तर पर orientation सैशन आयोजित करावें।		
9.	**विश्वविद्यालयों के लेखों की वर्तमान आन्तरिक जांच व्यवस्था के स्थान पर स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग द्वारा नियमित आन्तरिक जांच**	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालयों के समस्त लेखों का प्रमाणीकरण, नियमित एवं विस्तृत अंकेक्षण स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग, राजस्थान सरकार से कराये जाने बाबत विश्वविद्यालयों एवं संबंधित प्रशासनिक विभागों को पत्र लिखे जा चुके हैं। कुछ विश्वविद्यालयों एवं प्रशासनिक विभागों द्वारा इस संबंध में सहमति भी प्रेषित गई है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा इस संबंध में राज्य सरकार द्वारा एक स्थायी आदेश जारी करना निर्देशित किया गया है।	राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों के अधिनियमों में राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों के वित्त संबंधी प्रावधानों के संबंध में शक्तियां प्रदत्त हैं राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर परीक्षण किया जाकर एक राज्यादेश से राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में स्थानीय निधि अंकेक्षण विभाग से लेखों के अंकेक्षण की व्यवस्था लागू की जाने पर विचार किया जावे। विश्वविद्यालय द्वारा भी उक्त संबंध में यदि आवश्यक हो तो अपनी सहमति शीघ्रातिशीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत की जावें।	वित्त विभाग, राजस्थान सरकार
10.	**राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में समान शुल्क संरचना**	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालयो में समान कॉर्सेज के लिए समान शुल्क तथा इसमें वार्षिक आधार पर समान रूप से वृद्धि के संबंध में विस्तृत विचार किया जाकर शुल्क संरचना को पुनर्निधारण किया जाना अपेक्षित है। इस विषय पर चर्चा की गई एवं माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार इस विषय पर एक कमेटी के गठन करावे एवं समस्त विश्वविद्यालय अपने सुझाव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। यह कमेटी समान कॉर्सेज हेतु अधिकतम शुल्क निर्धारित कर सकती है। तकनीकी,	राज्य सरकार इस विषय पर एक कमेटी के गठन करावे एवं समस्त विश्वविद्यालय अपने सुझाव कमेटी के समक्ष प्रस्तुत करें। यह कमेटी समान कॉर्सेज हेतु अधिकतम शुल्क निर्धारित करे एवं अपनी अनुशंषाओं से शीघ्र राजभवन को अवगत करावे।	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग।

		विशिष्टीकृत प्रकृति के विश्वविद्यालयों द्वारा इस संबंध में संबंधित प्रशासनिक विभागों की सहमति से निर्णय लिया जावे।		
11.	**संबंद्ध महाविद्यालयों बाबत समान बन्दोबस्ती निधि (एन्डॉमेंट फण्ड) हेतु प्राप्त रिपोर्ट की समीक्षा**	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में संबद्ध महाविद्यालयों से लिये जाने वाले एण्डोमेंट फण्ड में एकरूपता लाने बाबत् राज्य सरकार द्वारा एक कमेटी का गठन दिनांक 01.01.2018 को किया गया। कमेटी से प्राप्त अनुशंषाएं उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राजभवन को प्रस्तुत की गई। राजभवन द्वारा उक्त अनुशंषाओं पर विश्वविद्यालयों से संबंधित अन्य प्रशासनिक विभागों की टिप्पणी हेतु पत्र दिनांक 09. 08.2018 को जारी किया गया किन्तु नियमित स्मरण के बावजूद आदिनांक सभी प्रशासनिक विभागों से टिप्पणी प्रतीक्षित है। इस संबंध में कुलपति, शेखावाटी विश्वविद्यालय द्वारा एण्डोमेन्ट फण्ड की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा संबंधित प्रशासनिक विभागों से प्रत्युत्तर शीघ्र भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	संबंधित प्रशासनिक विभाग राजभवन के पत्र दिनांक 09.08.2018 का प्रत्युत्तर शीघ्र प्रस्तुत करे ताकि समुचित निर्णय लिया जा सके।	कृषि विभाग; चिकित्सा शिक्षा विभाग; पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग; आयुर्वेद विभाग; संस्कृत शिक्षा विभाग; श्रम, नियोजन एवं कौशल विभाग
12.	**विश्वविद्यालयों के स्टेटयूटस/ नियम/परिनियम के अनुमोदन बाबत संशोधित एवं समान व्यवस्था**	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि राजभवन द्वारा स्टेट्यूटस/नियम/परिनियम के अनुमोदन बाबत् नवीन व्यवस्था हेतु प्रस्ताव दिनांक 30.09.2018 को सभी प्रशासनिक विभागों को प्रेषित किये गये, जिन पर टिप्पणी प्रतीक्षित है। माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा शेष प्रशासनिक विभागों से प्रत्युत्तर शीघ्र राजभवन सचिवालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया।	सभी संबंधित प्रशासनिक विभाग राजभवन के पत्र दिनांक 30.09.2018 का प्रत्युत्तर राजभवन को शीघ्र प्रेषित करें। राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों से प्राप्त स्टेच्यूट्स/नियम /परिनियम के ड्राफ्ट पर परीक्षण/टिप्पणी बाबत् तीन माह का समय दिया जावे। तत्पश्चात प्रकरण मुख्य सचिव, राजस्थान	उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग; कृषि विभाग; चिकित्सा शिक्षा विभाग; पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग; आयुर्वेद विभाग; संस्कृत शिक्षा विभाग; श्रम, नियोजन एवं कौशल विभाग एवं समस्त

		कतिपय विश्वविद्यालय द्वारा निवेदन किया गया कि उनके द्वारा स्टेच्यूट्स/नियम /परिनियम राजभवन को प्रेषित किये जाते है किंतु उनका समय पर अनुमोदन नहीं किया जाता। अतः इस संबंध में समय सीमा निर्धारित की जाये। इस संबधं में प्रभारी अधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय के स्टेट्यूटस/नियम/परिनियम के ड्राफ्ट प्राप्त होने पर उन्हें राज्य सरकार की टिप्पणी बाबत प्रेषित किया जाता है एवं राज्य सरकार का मत प्राप्त किया जाना आवश्यक होता है। विचार–विमर्श उपरांत माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशित किया कि राज्य सरकार को अपनी टिप्पणी प्रेषित किये जाने बाबत तीन माह का समय दिया जाना चाहिए यदि तीन माह पश्चात भी टिप्पणी प्राप्त नहीं होती है तो मुख्य सचिव के संज्ञान में लाया जाकर समयबद्ध कार्यवाही बाबत आग्रह किया जाना चाहिए। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा द्वारा प्रस्तावित किया गया कि विश्वविद्यालय को निर्देशित किया जावे कि जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना को substantial समय हो चुका है उन्हें अपने स्वयं के विस्तृत स्टेट्यूटस/नियम/परिनियम बना राजभवन को अनुमोदनार्थ प्रेषित करने चाहिए।	सरकार के संज्ञान में लाया जाकर समयबद्ध कार्यवाही बाबत आग्रह किया जावे। जिन विश्वविद्यालयों की स्थापना को substantial समय हो चुका है वे अपने स्वयं के विस्तृत स्टेट्यूटस/नियम/परिनियम बना राजभवन को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत करें। जिन विश्वविद्यालयों द्वारा पूर्व में बना लिये गये है वे यूजीसी/AICTE/ICAR/MCI आदि नियामक संस्थाओं तथा राज्य सरकार के नवीनतम नियमों/निर्देशों के अनुरूप उनमें शीघ्र संशोधन/अपडेशन करें।	राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय

13.	**स्मार्ट विश्वविद्यालयों की ओर कदम जिसके संबंधित घटक पर कियान्विति अपेक्षित है :–**	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा विश्वविद्यालयों को स्मार्ट विश्वविद्यालय की ओर कदम बढाने एवं निम्न घटक पर कार्यवाही करने बाबत निर्देशित किया गया :– • गैर परम्परागत ऊर्जा स्त्रोतों का अधिकतम उपयोग • हरा–भरा प्लास्टिक मुक्त परिसर • स्मार्ट– क्लासरूम • विश्वविद्यालय परिसर में सी.सी.टी.वी. कैमरों की स्थापना • निःशुल्क वाई–फाई एनेबल्ड कैम्पस • कचरा संग्रहण एवं निस्तारण व्यवस्था • जल–जीवन मिशन एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता • ई–लाईब्रेरी • साहित्यिक चोरी को रोकने बाबत Anti Plagiarism Software की स्थापना • दिव्यांगजन हेतु उचित व्यवस्थायें • स्मार्ट साईंस लैब • डिजिटल प्रशासनिक प्रकियायें – जैसे ऑनलाईन एडमिशन, ऑनलाईन फीस, बायोमैट्रिक उपस्थिति, ई–प्रोक्योरमेंट,	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वर्तमान विश्वविद्यालयों को स्मार्ट विश्वविद्यालय में बदलने हेतु बैठक में चर्चा किए गए समस्त बिन्दुओं पर प्रभावी एवं समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। विश्वविद्यालयों को जल–जीवन मिशन से जोडें। विश्वविद्यालय इस बाबत भूविज्ञान एवं भूगोल विषय के विद्यार्थियों का सहयोग लेवें। विश्वविद्यालय एनर्जी ऑडिट करावें। विश्वविद्यालय RESCO मॉडल पर सौर ऊर्जा संयंत्रों की स्थापना बाबत प्रयास करें।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय

		ई–वेतन भुगतान तथा अन्य भुगतान जैसे चिकित्सा पुनर्भरण, यात्रा–भत्ता, पेंशन आदि, ऑन–लाइन शासकीय आवास आवंटन • ऑनलाइन सम्बद्धता, • एकीकृत विद्यार्थी पहचान पत्र व्यवस्था • विश्वविद्यालय शिकायत निवारण पोर्टल • राज्य सरकार के एकीकृत हायर एज्यूकेशन पोर्टल से लिंक इस विषय पर एक प्रस्तुतीकरण श्रीमती ज्योति लुहाडिया, संयुक्त सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया। सचिव, राज्यपाल द्वारा विश्वविद्यालयों को जल–जीवन मिशन से जोडने एवं विश्वविद्यालयों में एनर्जी ऑडिट कराने पर जोर दिया गया। डॉ. अभय जेरे द्वारा विश्वविद्यालयों में भूगोल एवं भूविज्ञान के छात्रों के सहयोग से प्रत्येक ब्लॉक लेवल पर एक जल संरक्षण मॉडल बनाये जाने बाबत सुझाव दिया गया।		

14.	**एमएचआरडी द्वारा विकसित पोर्टल "आल इण्डिया सर्वे ऑफ हायर एजूकेशन" विश्वविद्यालय से सम्बद्धक महाविद्यालयों का डेटा अपलोड एवं अपडेट करना**	इस विषय पर माननीय राज्यपाल महोदय का मत था कि विश्वविद्यालय संबंधित पोर्टल पर पंजीकरण की कार्यवाही कर उपरोक्त बिन्दुओं संबंधी डाटा विनिर्दिष्ट समयावधि में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को प्रेषित करे।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय आवश्यक रूप से उक्त पोर्टल पर समस्त वांछित सूचनाएं उपलब्ध करावें ताकि भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षा के संबंध में सटीक विश्लेषण किया जाकर प्रभावी एवं समीचीन योजनाओं का निर्माण कर सके एवं उच्च शिक्षा के उन्नयन की दिशा में प्रभावी कार्रवाई की जा सके।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय
15.	**प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स की स्थापना य**	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देश प्रदान किये गये है कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जावे। उक्त सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस समसामयिक आवश्यकताओं, विज्ञान, इतिहास, राज्य से संबंधित किसी महत्वपूर्ण गतिविधि विषय पर आधारित हो सकता है।विश्वविद्यालय प्रस्तावित सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस से संबंधित सूचना राजभवन को उपलब्ध करावें ताकि एक ही विषय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में दोहराव ना हो। इस संबंध में माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय इस संबधं में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट शीघ्र राजभवन को प्रेषित करें।	प्रत्येक राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय में एक सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाकर राजभवन को सूचित किया जावे।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय
16.	विश्वविद्यालय सामाजिक उत्तरदायित्त्व (University Social Responsibility)	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि सामान्यतः विश्वविद्यालयों में विस्तार क्रिया–कलापों को प्राथमिकता नहीं दी जाती। विश्वविद्यालयों को सामाजिक उत्तरदायित्वों से जोडा जाना अतिआवश्यक है। जिससे की विश्वविद्यालय अपने	विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावें।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय

		ज्ञान, तकनीकी एवं कौशल को समाज के विकास में उपयोग कर सके। विश्वविद्यालय शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास, साहित्य एवं कला के क्षेत्रों में विशिष्ठ योगदान दे सकते हैं। प्रस्तावित है कि विश्वविद्यालय इस संबंध में अपने स्तर पर एक सैल स्थापित करें जो स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर गतिविधियों का चयन कर सभी ंजांम भ्वसकमते की सहभागिता निर्धारित करे एवं की जा रही गतिविधियों के आधार पर एक अद्धवार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार एवं राजभवन को प्रेषित करे। यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों में सामाजिक उत्तरदायित्व को प्रेरित करने के उद्देश्य से Establishment of Centre for Fostering Social Responsibility and community engagement in Universities विषयक परिपत्र भी जारी किया गया है। इस योजना के तहत यूजीसी द्वारा विश्वविद्यालयों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है। इस संबधं में प्रो0 देवस्वरूप द्वारा बताया गया कि पूर्व में विश्वविालयों को equal opportunity cell बनाने बाबत प्रेरित किया जाता था। विश्वविद्यालयो द्वारा इसके स्कॉप को वृहद् किया जा सकता है एवं विश्वविद्यालय प्रभावी भूमिका निभा सकते है। माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि विश्वविद्यालय इस संबंध में कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट से राजभवन को अवगत करावें।		

17.	खेल दर्शन विषय को सब्सिडरी विषय के रूप में पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना	विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के खेलो इण्डिया मिशन से राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों को जोड़ने एवं खेल दर्शन विषय को विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम का अनिवार्य अंग बनाने के उद्येश्य से राजभवन द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें खेल विभाग, उच्च शिक्षा विभाग एवं विश्वविद्यालयों के सदस्य सम्मिलित थे। राज्य सरकार के परामर्श से उक्त कमेटी की अनुशंषाएं 11 सामान्य एवं दो तकनीकी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में लागू कर दी गई हैं। शेष विश्वविद्यालयों में कमेटी की अनुशंषाओं को लागू किये जाने बाबत् संबंधित प्रशासनिक विभागों को पत्र हाल ही प्रेषित किये गये है।	संबंधित प्रशासनिक विभाग अपनी टिप्पणी से राजभवन को शीघ्र अवगत करावें एवं विश्वविद्यालय इस विषय पर गंभीरता से कार्रवाई कर अकादमिक सत्र 2020–21 से लागू किया जाना सुनिश्चित करें।	चिकित्सा शिक्षा विभाग; श्रम एवं नियोजन विभाग; पशुपालन, मत्स्य एवं गोपालन विभाग; आयुर्वेद विभाग; संस्कृत शिक्षा विभाग; गृह विभाग; कृषि विभाग एवं समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय
18.	राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया पर विचार	इस विषय पर विशेषाधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा बताया गया कि विश्वविद्यालय में शैक्षणिक पदों के संबंध में यूजीसी/रेगुलेटरी बॉडी द्वारा निर्धारित योग्यताएं अपनाने बाबत पत्र दिनांक 08.12.2016 को लिखा गया । राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक एंव अशैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों में पारदर्शिता बाबत् दिशा–निर्देश राजभवन द्वारा परिपत्र दिनांक 19.06.2018 द्वारा जारी किये गये है। इस संबधं में कुलपति, गोविन्द गुरू जनजातीय विश्वविद्यालय, बांसवाडा द्वारा बताया गया कि चूंकि राज्य सरकार से नियुक्तियों की स्वीकृति प्राप्त होने में समय लग सकता है, अतः तब तक विश्वविद्यालयों को गेस्ट फैकल्टी से शिक्षण का कार्य कराये जाने की अनुमति	माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक पदों पर नियुक्तियों के संबंध में यूजीसी/रेगुलेटरी बॉडी द्वारा जारी दिशा–निर्देश तुरन्त प्रभाव से अंगीकार करे। साथ ही नियुक्तियों में पारदर्शिता सुनिश्चित करें। गैर–शैक्षणिक पदों हेतु योग्यताएं एवं प्रक्रिया राज्य सरकार द्वारा समकक्ष पदों हेतु निर्धारित योग्यता एवं प्रक्रिया के अनुरूप की जावे।	समस्त राज्य वित्तपोषित विश्वविद्यालय

		दी जावे। कुलपति, मोहन लाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर द्वारा निवेदन किया गया कि गेस्ट फैकल्टी बाबत मानदेय को बढाया जाना उचित होगा। इसका समर्थन कुलपति, हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय द्वारा भी किया गया। कुलपति, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय द्वारा कहा गया कि सेवानिवृत्त शिक्षक को पे–माइनस पेंशन के आधार पर रखे जाने बाबत स्वीकृति दी जावे। प्रभारी अधिकारी उच्च शिक्षा द्वारा इस संबधं में मानदेय HCMRIPA के नियमानुसार रखे जाने बाबत प्रस्तावित किया गया। कुलपति, महाराजा गंगासिह विश्वविद्यालय द्वारा तीन बिंदुओं बाबत ध्यान आकृष्ट किया गया – 1. विद्यार्थियों बाबत अंतर–महाविद्यालय स्थानान्तरण संबंधी स्वीकृति दी जावे 2. विश्वविद्यालय के अधिकारियो/कर्मचारियों को राज्य सरकार के अधिकारियो/कर्मचारियों के समकक्ष सुविधाए दी जावे 3. विश्वविद्यालय के अधिकारियों हेतु पदोन्नति संबंधी प्रावधान किये जावें		